न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला–भीलवाड़ा (राज0)
कैम्प धुंवाला (क)

प्रकरण संख्या:– 64/2017 राजस्व वाद

पीठासीन अधिकारी :– रजनी माधीवाल (आर.ए.एस)

अनवान

श्री देवी पिता श्री जग्गा भील निवासी नयाखेड़ा (धुंवाला) तहसील करेड़ा

––दादी।

बनाम

1–श्री देवा पिता जग्गा भील निवासी नयाखेड़ा (धुंवाला) तहसील करेड़ा (फौत) के बजाय–

1/1 श्रीमती हीरी पत्नी देवा भील निवासी नयाखेड़ा (धुंवाला) तहसील करेड़ा

1/2 वालु पिता देवा भील निवासी नयाखेड़ा (धुंवाला) तहसील करेड़ा

1/3 किशन पिता देवा भील निवासी नयाखेड़ा (धुंवाला) तहसील करेड़ा

1/4 मांगु पिता देवा भील निवासी नयाखेड़ा (धुंवाला) तहसील करेड़ा

1/5 भागु पिता देवा भील निवासी नयाखेड़ा (धुंवाला) तहसील करेड़ा

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा, तहसील करेडा

3–राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक महोदय, करेडा तहसील करेड़ा।

–––प्रतिवादीगण।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 एवं 188 रा0का0अधिनियम,

बायत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1–वादी की ओर से – श्रवणलाल गुर्जर

2–प्रतिवादी सं01 की ओर से–मुकेश जैन

3–राज0राज्य – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 20.06.2018

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 एवं 188 रा0का0अधिनियम, बायत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया गया। वादपत्र वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल मिसल किये।

न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को कई अवसर प्रदान किये जाने पर प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश दिनांक 26.02.2014 को प्रदत्त किये। प्रकरण में दिनांक 08.09.2016 को प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु होने से उसके कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। परन्तु तत्पश्चात् न्यायालय में निहित पेशी दिनांक को प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आने से विवश होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात वकील वादी द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया गया। जिस पर संबंधित को सुना जाकर स्वीकार किया गया एवं पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 07.02.2018 को बहस सुनी जाकर आगामी पेशी दिनांक पर निर्णय पारित किया

Scanned by CamScanner

जाना था परन्तु राजकार्य में व्यस्तता के कारण पश्चात् तिथियों पर निर्णय पारित नहीं किया जा सका। प्रकरण राजस्व लोक अदालत शिविर में चिन्हित किये जाने से शिविर में प्रस्तुति के आदेश दिये गये।

पत्रावली केम्प धुंवाला (क) मुकाम पर न्याय आपके द्वार–2018 के अंतर्गत लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित है। वादी प्रकरण में आज ही निर्णय कराना चाहता है। वकाल वादी ने बहस हेतु निवेदन किया गया जिसे स्वीकार किये जाने पर वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि ग्राम एवं पटवार मण्डल धुंवाला (क) वर्तमान तहसील करेड़ा स्थित साविक आ0नं0 235 एवं 236 में आंवटन कराये जाने का प्रार्थनापत्र वादी द्वारा भरा गया था परन्तु आंवटन अधिकारी द्वारा आ0नं0 235 व 236 के बजाय आ0नं0 293 में 5.00 बीघा दिनांक 29.05.1970 को आंवटन आंवटित की गई। एवं आवंटन सूची पटवारी हल्का को भिजवाई जाने पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि आ0नं0 293 मकबूजा होने से आ0नं0 293 के बजाय आ0नं0 237 व 238 में भूमि सिपुर्द की। उक्त कार्यवाही पर आंवटन अधिकारी द्वारा हल्का पटवारी का स्पष्टीकरण चाहा गया कि जब आंवटन आ0नं0 293 में किया गया है तो क्योंकर आ0नं0 237 व 238 में कब्जा सिपुर्द किया गया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि मकबूजा होने की ओर पुनः ध्यान दिलाया गया तो आंवटन अधिकारी द्वारा अंततः आ0नं0 237 व 238 में 5.00बीघा का आंवटन स्वीकार किया जाकर वादी के भूमि दर्ज करने के आदेश 24.06.1971 को प्रदान किये गये।

परन्तु उपरोक्त आदेश की अनुपालना में **देवी पिता जग्गा भील** निवासी नयाखेड़ा के बजाय भूलवश **देवा** पिता **जग्गा भील निवासी** नयाखेड़ा के नाम नामान्तरण दर्ज कर वादी को 1970 में आंवटित भूमि मिलता जुलता होने के कारण एवं बदकिस्मती से वादी एवं प्रतिवादी के पिता का नाम एक ही जग्गा भील होने से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी गई जिससे प्रतिवादी की नियत में फितूर पैदा हो गया एवं उक्त वादग्रस्त 5.00 बीघा भूमि जिसके हाल आ0नं0 3493/1270 रकबा 4.05 बीघा को हड़पना चाहता है। चूँकि आंवटन देवा भील को नहीं होकर देवी भील को हुआ है।

हमने पत्रावली का समग्र रूप से अध्ययन एवं अवलोकन किया। आंवटन मिसल की प्रस्तुत सत्यप्रतिलिपियां यथा आवेदन फार्म, सिपुर्दगीनामा, एवं पुनः आ0नं0 के संशोधित नंबर आदि पर भी घोर किया। न्यायालय का स्पष्ट मत है कि आंवटन देवी पिता जग्गा भील निवासी नयाखेड़ा को ही किया गया है जो प्रकरण में वादी है। प्रतिवादी देवा पिता जग्गा भील निवासी नयाखेड़ा के नाम भूमि आंवटन नहीं हुआ है परन्तु ईन्तकाल खोलते समय देवी की बजाय देवा के अंकन की त्रुटि हल्का पटवारी से हो जाने के कारण वादी को लगभग 48 वर्ष तक अपने हक हकूक से काबिज होने के बावजूद भी वंचित रहना पड़ा है। वादी द्वारा अपने कथन/बहस के समय न्यायालय के ध्यान में लाये गये उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर एवं आंवटन संबंधी रेकार्ड का परीक्षण करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है एवं वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं 1 के कायम मुकाम 1/1 लगायत 1/5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे तथा न ही अन्य से करावे।

:: आदेश ::

वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने से तथा यादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किये जाने के कारण ग्राम एवं पटवार मण्डल धुंवाला तहसील करेड़ा स्थित आ0नं0 3493/1270 रकबा 4.05 बीघा भूमि जो वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित है के बजाय वादी देवी पिता जग्गा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने एवं तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की आज्ञा प्रदान की जाती है। साथ ही प्रतिवादी सं0 1 के कायम मुकाम 1/1 लगायत 1/5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे तथा न ही अन्य से करावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार करेडा को लिखा जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को सरे ईजलाश सुनाया गया।

(रजनी मेघीवाल)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

बईजलास सुश्री रजनी माधीवाल (आर0ए0एस0)

अनवान

श्री देवी पिता श्री जग्गा भील निवासी नयाखेड़ा (धुवाला) तहसील करेड़ा

——वादी।

बनाम

1–श्री देवा पिता जग्गा भील निवासी नयाखेडा (धुंवाला) तहसील करेड़ा (फौत) के बजाय–

1/1 श्रीमती हीरी पत्नी देवा भील निवासी नयाखेडा (धुंवाला) तहसील करेडा

1/2 वालु पिता देवा भील निवासी नयाखेड़ा (धुंवाला) तहसील करेड़ा

1/3 किशन पिता देवा भील निवासी नयाखेडा (धुंवाला) तहसील करेड़ा

1/4 मांगु पिता देवा भील निवासी नयाखेडा (धुंवाला) तहसील करेड़ा

1/5 भागु पिता देवा भील निवारी नयाखेड़ा (धुंवाला) तहसील करेड़ा

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा, तहसील करेडा

3–राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक महोदय, करेडा तहसील करेड़ा।

———प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 मुकदमा नं. 64/17 निर्णय दिनांक 20.06.2018

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई हिजरी वकील वादी श्री श्रवणलाल गुर्जर मिनजानिब मुददई व प्रतिवादी संख्या 1 श्री मुकेश जैन , पेरोकार सरकार मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार कर ग्राम एवं पटवार मण्डल धुंवाला तहसील करेड़ा स्थित आ0नं0 3493/1270 रकबा 4.05 वीघा भूमि जो वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित है के बजाय वादी देवी पिता जग्गा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने एवं तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की आज्ञा प्रदान की जाती है। साथ ही प्रतिवादी सं0 1 के कायम मुकाम 1/1 लगायत 1/5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे तथा न ही अन्य से करावे बावत डिक्री प्रदान की जाती है।

आज तारीख 20.06.2018 को डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner